परिपत्र संख्या 26/10

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-6(1)विविध/निरी/10/ 594 दिनांकः 31-8-10

परिपत्र

विषयः लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 (3) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम-64 (1) में राज्य सरकार को ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करने का अधिकार है जहाँ पर सम्पत्ति संबंधी एवं अन्य दस्तावेज निष्पादित होते हैं अथवा प्रस्तुत होते हैं एवं जिन पर मुद्रांक शुल्क देय है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37 (1) से (2), (4) एवं धारा-85 के अन्तर्गत लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किये हुए हैं।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर-अनु./97 दिनांक 16.12.97 ***(प्रति संलग्न)*** से केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है।

उक्त कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के लिए विभाग द्वारा समय-समय विभागीय अधिकारियों की बैठक में दिए जाने वाले निर्देशों के अतिरिक्त मुख्यतः निम्न परिपत्र जारी कर मुद्रांक शुल्क की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है:-

1.0 विभाग की मार्गदर्शिका के परिपत्र संख्या 24/09 द्वारा लोक कार्यालयों में प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों में मुद्रांक शुल्क की देयता एवं मुद्रांक शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया एवं निर्धारित प्रपत्रों में सूचना संकलित करने हेतु भी अधिनस्थ कार्यालयों को पाबन्द किया गया।

2.0 विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(60)जन/09/11824-12273 दिनांक 22.10.09 द्वारा निर्देशित किया गया कि स्थानीय निकायों/संस्थाओं द्वारा लीजडीड का निष्पादन राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त मुद्रांक-पत्र पर ही निष्पादित करवाये जाने हेतु इन कार्यालयों से नियमित रूप से सम्पर्क किया जावे।

3.0 विभाग की मार्गदर्शिका के परिपत्र संख्या 28/09 में यह निर्देशित किया गया कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की वसूली के लिए लोक कार्यालयों के निरीक्षण के अभाव में आक्षेप गठित हो रहे हैं इसलिये मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही के लिए लोक कार्यालयों का प्रभावी रूप से निरीक्षण किया जावे।

4.0 लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के संबंध में उपरोक्त परिपत्रों के द्वारा निर्देशित करने तथा समय-समय पर विभागीय अधिकारियों की बैठकों में पर्याप्त निर्देश दिये जाने के उपरांत भी यह ध्यान में आया है कि उप पंजीयक तथा कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा नियमित रूप से इन लोक कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मुद्रांक शुल्क में प्राप्त होने वाली राजस्व आय से राज्य सरकार को वंचित होना पड़ रहा है तथा लोक कार्यालयों के निरीक्षण के अभाव में महालेखाकार कार्यालय के द्वारा आक्षेप लिया जा रहा है। इसलिये समस्त उप पंजीयक, कलक्टर (मुद्रांक) को यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-37, 85 सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम,

2004 के नियम 64 (1) के अनुसार लोक कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाकर निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

4.1 उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)/उप पंजीयक के प्रत्येक कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर उस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त लोक कार्यालयों की सूची अंकित होगी।

4.2 ***उप पंजीयक द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण का त्रैमासिक चक्र बनाकर प्रति तीन माह में एक बार प्रत्येक लोक कार्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।*** निरीक्षण किया जाकर निम्न प्रारूप में रजिस्टर का संधारण किया जाकर नियमित रूप से इसमें इन्द्राज किया जावे :-

क्र. सं.	*लोक कार्यालय का नाम*	*निरीक्षण दिनांक*	*निरीक्षण में कमी मुद्रांक, कमी मालियत, गलत वर्गीकरण के पाये गये दस्तावेजों के संबंध में संक्षिप्त विवरण*	*निरीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण*	*विशेष विवरण*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

4.3 उप पंजीयक द्वारा लोक कार्यालय के निरीक्षण के संबंध में उपरोक्त संधारित रजिस्टर का प्रत्येक तीन माह में रिव्यू किया जाकर इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित की जावे।

4.4 कलक्टर मुद्रांक द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उपरोक्त रजिस्टर का भी निरीक्षण किया जावे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त रजिस्टर के निरीक्षण के संबंध में टिप्पणी अंकित की जावे।

4.5 ***कलक्टर मुद्रांक द्वारा अपने क्षेत्र के प्रत्येक लोक कार्यालयों का वर्ष में न्यूनतम एक बार अवश्य निरीक्षण किया जावे और उपरोक्त निर्धारित प्रारूप के अनुसार रजिस्टर का संधारण किया जावे।***

5.0 इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त परिपत्रादि इस परिपत्र में उल्लेखित निरीक्षण के नॉर्मस् व प्रक्रिया की सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, 31/8/10
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-6(1)विविध/निरी/10/594-1011 दिनांकः 31-8-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

(95) अधिसूचना

क्रमांक पं.2(20) वित्त/कर-अनु./97 जयपुर, दिनांक 16.12.97

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या-7) द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-2), की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों को ''पब्लिक ऑफिस'' निश्चित करती है—

1. केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय।
2. राज्य सरकार के समस्त कार्यालय।
3. केन्द्र सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाऐं।
4. राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशासी संस्थाऐं।
5. नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/नगर सुधार न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय।
6. दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय।
7. समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय।
8. समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनियों के कार्यालय।
9. नोटेरी अधिनियम 1952 के अन्तर्गत नियुक्त नोटरी के कार्यालय।
10. शपथ आयुक्त के कार्यालय।

राज्य सरकार यह भी निश्चित करती है कि उपरोक्त पब्लिक ऑफिसेस के कार्यालयाध्यक्ष ही उक्त अधिनियम की धारा 33(3) के प्रयोजनार्थ अपने-अपने कार्यालयों के कार्यालय प्रभारी होंगे।